न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :— करतार सिंह पूनियॉ आर.ए.एस.

अपील संख्या 221/2019

आरसीएमएस नं.—2019/00221

अन्तर्गत धारा 225 आरटीएक्ट

1. सुपारी देवी पत्नी श्री कालूराम पुत्री श्री दुल्लाराम जाति मेघवाल निवासी प्रेमपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
2. गुड्डी देवी पत्नी श्री लालचन्द पुत्री श्री दुलाराम जाति मेघवाल निवासी 18 एसपीडी बड़ोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

—अपीलाण्ट

बनाम

1. किस्तूरी पत्नी बलराम
2. महेन्द्र पुत्र बलराम } जाति जाट निवासी इन्द्रपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज0)
3. सुभाष पुत्र बलराम
4. पैमाराम पुत्र गंगाराम
5. नन्दी पुत्र गंगाराम } जाति नायक निवासी इन्द्रपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज0)
6. दीपाराम पुत्र दुल्लाराम
7. पृथ्वीराज पुत्र दुल्लाराम } जाति मेघवाल निवासी चक 8 केडब्ल्यूएसएम घड़साना तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
8. शंकरलाल पुत्र श्री दुल्लाराम जाति मेघवाल निवासी इन्द्रपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

—रेस्पोडेण्टस

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:07:21 IST
Reason: SelfAttested

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 19.05.2017 द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर संगरिया वाद संख्या 36/2014 बअनवानी किस्तुरी आदि बनाम सुपारी देवी

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

उपस्थितः–

श्री महेन्द्र सिंह संधु अधिवक्ता अपीलांट

श्री इन्द्राज गोदारा अधिवक्ता रेस्पाडेण्ट

निर्णय दिनांकः– 21.06.22

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–ए के अन्तर्गत एक प्रार्थना–पत्र पेश किया जिसमें कथन कियाकि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 3 की चक 17 एमजेडी खाता 15/10, खाता किस्तुरी आदि, जमाबन्दी सम्वत 2069–72 में आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा रेस्पोडेण्ट संख्या 6 ता 9 व डुंगरी देवी के नाम चक 17 एमजेडी खाता संख्या 41/37, खाता डुंगरी आदि जमाबन्दी में आराजी दर्ज रिकार्ड है। रेस्पोडेण्ट सं0 1 व 2 ने अपने नाम दर्ज आराजी में आने जाने के लिए कोई मंजूरशुदा रास्ता नहीं होने का कथन करते हुए चक 17 एम.जे.डी.के पत्थर नंबर 112/175 मुरब्बा नं. 25 किलानं. 3 व 8 में 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने का अनुतोष मांगा। विचारण न्यायालय ने तहसीलदार से रिपोर्ट मंगवाकर कैम्प कोर्ट इन्द्रपुरा में अपीलाधीन आदेश पारित किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार (राजस्व) संगरिया से मौका निरिक्षण रिपोर्ट मंगवाई परन्तु तहसीलदार द्वारा स्वयं मौका निरिक्षण न कर पटवारी व गिरदावर की रिपोर्ट को विचारणीय न्यायालय को प्रेषित किया तथा रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया जो कानून के आज्ञापक सिद्धान्तों के विपरीत है। अप्रार्थी सं0 1 डुंगली देवी की दिनांक 18.09.2016 को मृत्यु हो चुकी थी अपीलाधीन निर्णय मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित किया गया है। डुंगली देवी की मृत्यु बाबत कोई कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय में नहीं की गई इसलिए दावा अबैट हो चुका था, जिस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अपीलाण्ट का नोटिस गलत पता पर दर्ज कर तामील के प्रयास किये गये। अपीलाधीन निर्णय की अपीलाण्ट कोई तामील नहीं करवाई गई। प्रकरण राजस्व लोक अदालत में मात्र राजीनामा के तहत प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है। पत्रावली प्राथमिक स्टेट पर वास्ते तलबी व

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:07:21 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

जवाब मुकर्रर थी जिस पर कोई ध्यान नहीं दिय गयां रेस्पोडेण्ट संख्या 8 वादग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार है जिसकी भलीभांति जानकारी रेस्पोडेण्ट सं0 1 व 2 को है जिसे विचारण न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया। रेस्पोडेण्ट की भूमि रास्ते से लगती है जमाबन्दी में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 के रकबी की जमाबन्दी में गैर मुमकिन रास्ता का इन्द्राज है। इन परिस्थिति में रेस्पोडेण्ट द्वारा नया रास्ता की मांग करना विधि विरूद्ध है। अपीलाधीन निर्णय का अपीलाण्ट को ज्ञान नहीं था ज्ञान होते ही अपील पेश कर दी है। अतः देरी क्षमा की जावे एवं अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्टने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायलाय का आदेश विधि सम्मत है। डूंगली देवी के नोटिस उसके पुत्र पर तामील करवाये गये हैं। अपीलाधीन आदेश तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त कर पारित किया गया है। रेस्पोडेण्ट के पास अपनी भूमि में आवागमन हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत किया गया है, जो विधि सम्मत है। अपीलाण्ट के सम्मन रजिस्टर्ड ए.डी. द्वारा तामील करवाये गये है। उसके जानबूझकर अदालत हाजा में उपस्थित नही आने पर उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई थी। अपीलाधीन निर्णय की जानकारी अपीलाण्ट को पूर्व से ही है। अपीलाण्ट ने मियाद बाहर अपील पेश की है। अपील देरी से पेश करने का कोई समुचित कारण नहीं बताया है। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र सशपथ होने एवं अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना–पत्र स्वीकार किय जाता है एवं अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

7. जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान कातश्कारी अधिनियम की धारा 251–ए के तहत रास्ता स्वीकृत किया। धारा 251–ए के तहत रास्ता स्वीकृत करने के लिए रास्ते की परम आवश्यकता, वैकल्पिक रास्ते की उपलब्धता एवं निकटतम रास्ते के बिन्दुओं को ही देखा जाना है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में आईएलआर की रिपोर्ट दिनांक 09.12.2016 उपलब्ध है जिसमें बिन्दू संख्या 5 में बताया है कि वैकल्पिक रास्ते नहीं होने का अंकन है एवं तथा बिन्दू संख्या 1 कें प्रार्थी के खेत में आने

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:07:21 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

जाने के लिए कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं हाने की रिपोर्ट है। बिन्दू संख्या 4 में प्रार्थी को रास्ता दिया जाना अत्यन्त आवश्यक बताया गया है। जहां तक डुंगली देवी के मृत होने का प्रश्नगत है जब उसके सम्मन भिजवाये गये थे तब वह जिन्दा थी उसके सम्मन उसके पुत्र पर तामील हुए हैं। जहां तक अपीलाण्ट का यह कथन कि उसको कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुए तो इसके संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट एवं अन्य पक्षकारों के सम्मन रजिस्टर्ड ए.डी. द्वारा भिजवाये गये थे उनकी उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए अदालत कैम्प कोर्ट इन्द्रपुरा में अपीलाधीन निर्णय पारित किया हैं जिसमें किसी प्रकार की विधि अनियमितता नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं सहायक कलक्टर संगरिया के अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.05.2017 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

9. निर्णय आज दिनांक 21.6.22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

21/6/22

(करतार सिंह पूनियाँ आरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:07:21 IST
Reason: SelfAttested